न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 485
दायरा तिथि : 09.12.2024
आदेश तिथि : 28-05-2025
प्रार्थी :–
देवाराम पुत्र गलाराम जाति सिरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कमला पुत्री मोडारामजी
2. चेनाराम पुत्र केरारामजी
3. देवाराम पुत्र केरारामजी
4. दीपक पुत्र मोडारामजी
5. मीरो पत्नि केरारामजी
6. राजाराम पुत्र मोडाराम
7. वदुबाई पत्नि मोडारामजी
8. हकाराम पुत्र मोडारामही
9. रामलाल पुत्र कूपारामजी तमाम जाति सिरवी
   निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 28/5/025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1181 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1179 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व / 2025 / 124 दिनांक 13.01.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मस्त जे. राठौड ने आपत्ति पेश कर दलील दी कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये बाली के खसरा नंबर 1214 गै.मु.रास्ता से लगते हुये खसरा नंबर 1178 की भूमि स्थित है। जहां से प्रार्थी सुगमता से आना जाना कर सकता है। तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट व मौका फर्द खसरा नंबर 1178 के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। प्रस्तावित रास्ते में सिंचाई के लिये पाईप लाईन का वाल्व व कुंडी बनाई हुई है। जिससे प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जावें। इसके विपरीत खसरा नंबर 1178 की भूमि उत्तरी माठ के सहारे खुली भूमि है जहां कोई अवरोधक निर्माण, कुंडी व पाईप लाइन वगैरा नहीं है। अतः खसरा नंबर 1178 के उत्तरी भुजा में प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता दिलाये जाने के सबंध में पुनः रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण का न्यायपूर्ण निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी की आपत्ति पर नायब तहसीलदार बाली से खसरा नंबर 1178 व खसरा नंबर 1179(पाईप लाइन व कुंडी के भाग को छोडते हुये) दोनों खसरो की भूमि से आधा आधा रास्ता प्रस्तावित किये जाने के संबंध में पुनः मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुति के निर्देश दिये गये तथा साथ ही नवसृजित पक्षकार रामलाल को नोटिस भी जारी किये। न्यायालय आदेश की पालना में रिकॉर्ड व मौका

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/485

अनवान देवाराम वगैरा बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

की जांच के पश्चात तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2025/534 दिनांक 25.02.25 से निम्नानुसार जांच रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता व अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1178	0.54हैक्टर	चा.प्र.	54X2.5=135 वर्गमीटर	रामलाल पुत्र कुपाराम जाति सीरवी सा.देह खातेदार
2	1179	0.75 हैक्टर	चा.प्र. जा.अ.	56X2.5=140 वर्गमीटर	कमला पुत्री मोडाराम, चेनाराम पुत्र केराराम जाति चौधरी वगैरा संलग्न जमाबंदी अनुसार

5. यह है कि रास्तें में प्रस्तावित की जा रही भूमि दोनों खसरों की माठ पर खसरा नंबर 1179 पक्की दीवार एवं जामुन का वृक्ष है एवं खसरा नंबर 1178 पर कुंडी तथा पाईप लाईन के वॉल्व लगे हुये है। उक्त खसरा नंबर 1178 की पक्की दीवार व वृक्ष को छोडते हुये शेष प्रस्तावित रास्ते में पक्का निर्माण एवं वृक्ष इत्यादि नहीं है।
6. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बाली द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 4325000/– रूपये प्रति हैक्टर है।

तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के संबंध में लिपिकीय भूल होने से प्रार्थी देवाराम पुत्र गलाराम के आवेदन पर निरीक्षक भू–अभिलेख बाली ने पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में लिपिकीय भूल होने से खसरा नंबर 1179 के स्थान पर 1178 का अंकन कर कुंडी व पाईप लाईन खसरा नंबर 1179 में होने तथा दीवार एवं जामुन का पेड खसरा नंबर 1178 में होने की संशोधन रिपोर्ट पेश की। जिसके अनुसार तहसीलदार बाली ने भी अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1096 दिनांक 06.05.2025 से पूर्व रिपोर्ट में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थी रामलाल की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये प्राथमिक आपत्तियां पेश की। प्राथमिक आपत्तियां पेश कर प्रार्थी को खसरा नंबर 1182 की भूमि में से दिलाये जाने का निवेदन किया। इसका आधार पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णीत रास्ते का प्रकरण उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा में परित आदेश को बताते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में लंबित अपील के निर्णय से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध हो जाने से अप्रार्थी की बहुपयोगी खातेदारी खसरा नंबर 1178 की भूमि को रास्ते से पृथक रखते हुये आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार बाली से पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा नवसृजित पक्षकार रामलाल की आपत्ति प्रस्तुत हो जाने से प्रकरण में उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी श्री छगनलाल प्रजापत ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इस हेतु न्यायालय द्वारा 2–2 बार मौका जांच रिपोर्ट भी तलब की जा चुकी है। जिन जांच रिपोर्टो में भी यह स्वीकार किया गया कि प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये कोई रास्ता नहीं है। अतः धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार नया मार्ग कराये जाने की दलील दी। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा मौके के फोटो चित्र एवं निम्न कानूनी दृष्टांत पेश कियेः–

1. 2024 R.J.R.(Rev.) 31
2. 2024 R.J.R.(Rev.) 659
3. 2024 R.J.R.(Rev.) 472
4. 2024 R.J.R.(Rev.) 318
5. 2024 R.J.R.(Rev.) 85

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/485

अनवान देवाराम वगैरा बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर 1179 के खातेदारो के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने बहस में अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी ने जिस भूमि में आवागमन के लिये प्रार्थी ने रास्ते के लिये आवेदन किया है, वह भूमि सह खातेदारी की भूमि है। जिसके सबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पुर्व सभी सह खातेदारो की सहमति नहीं ली गई एवं न ही भूमि का विभाजन कराया गया है, जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी। अपनी बहस में दूसरी आपत्ति यह जताई गई कि खसरा नंबर 1181 के बंटवारे का दावा न्यायालय हाजा में जैर ट्रायल है, जिसमें यह तय होगा कि प्राथ्री को विभाजन में भूमि कहां मिलेगी। प्रार्थी के हक स्वत्य की भूमि का स्पष्ट विनिश्चयन हुये बिना रास्ता दिया न्याय संगत नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा तीसरी आपत्ति यह की गई कि निरीक्षक भू० अभिलेख, पटवारी व तहसलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे रिपोर्ट बनाते हुये रास्ते में स्थित संरचना के हटाने बाबत् प्रार्थी का शपथ पत्र रिकार्ड पर लिया। रास्ता केवल सुविधा हेतु नहीं दिया जा सकता। पूर्व में भी न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.4.2022 से भी रास्ता दिया गया है, जो केवल अप्रार्थी को तंग व परेशान के लिये बार बार आवेदन किये जा रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस के अंत में दलील दी कि निर्णय दिनांक 19.4.2022 पर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का दिनांक 6.10.2024 को स्थगन आदेश भी पारित है। अतः इन सब परिस्थितियो को देखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलों के समर्थन में वकील अप्रार्थी श्री भरत जे. राठौड द्वारा कानूनी दृष्टान्त 2017 DNJ (Rev.) पेश की।

नवसृजित पक्षकार रामलाल के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने बहस में आपत्ति प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में निम्न विधिक त्रुटिया होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावेः—

1. सह खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया
2. खसरा नंबर 1179 में रास्ता लम्बा वहीं खसरा नंबर 1178 में कम।
3. निर्णय दिनांक 14.9.2022 उमाराम बनाम तेजाराम वगैरा में पुर्व में पारित रास्ते का अवलोकन करे, जिसके अनुसार खसरा नंबर 1185 से दूरी कम क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1188 भी है।
4. पूर्व में रास्ते का निर्णय दिनांक 14.9.2022 को किया गया जबकि उक्त निर्णय की पालना अपील के वजह से नहीं हुई है, अतः अपील के निर्णय का इंतजार किया जाये।
5. खसरा नंबर 1178 की भूमि की किस्म चाही प्रथम हैं जबकि पडौस स्थित भूमियां बंजड किस्म की भूमियॉ है, जिससे बंजड भूमियो मेंसे रास्ता दिया जावे।
6. प्रार्थी को रास्ता तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रथम जांच रिपोर्ट में वर्णित खसरा नंबर 1179 की भूमि मेंसे ही दिया जावे, जिससे सभी पडौसी खसरा नंबर 1180 व 1189 को भी रास्ता मिल सके।
7. प्रकरण खसरा नंबर 1181 के बंटवारे के अभाव में खारिज योग्य है।

दोनो अप्रार्थी अधिवक्तागणो की आपत्तियों के सबंध में वकील प्रार्थी द्वारा पुनः बहस कर दलील दी गई कि दोनो ही पक्ष प्रार्थी के रास्ता के प्रकरण में अनावश्यक रोडा/ अडचन पैदा कर रहे है, जबकि प्रार्थी को उसकी धारित खातेदारी भूमि तक पहुँच को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतो मे प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार आपत्तियो को खारिज कर प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता दिलाये जाने की दलील दी।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं विधिक प्रावधानो पर मनन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1181 में आने जाने के लिये कोई रिकार्डेड पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। जिस तथ्य को भूमिधारी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि निरीक्षक भू0अ0 बाली ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है। दोनो अप्रार्थीगण द्वारा बहस में उठाई गई आपत्तियो में से खसरा नंबर 1181 की भूमि सह खातेदारी की भूमि होने से बिना विभाजन के प्रकरण को चलने योग्य नहीं बताया है। परन्तु प्रकरण में यह स्वीकार्य हैं कि खसरा नंबर 1181 का रिकार्ड में भले ही बंटवारा न हुआ हो, लेकिन मौके पर भौतिक तौर से पक्षकारो के मध्य विभाजन होने से ही प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन किया है, तथा रास्ते बाबत् आवेदन के लिये विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ईकलौता सह खातेदार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........04

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/485
अनवान देवाराम वगैरा बनाम कमला वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आवेदन नहीं कर सकता है। भूमि का विभाजन न्यायालय से होने पर पर रास्ते के आदेश से विभाजन करने में किसी प्रकार का व्यवधान/बाधा उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं है। जिससे दोनो पक्षो की उक्त आपत्ति सारहिन होने से खारिज की जाती है। वकील अप्रार्थीगयो की दूसरी आपत्ति पुर्व में निर्णित रास्ता के प्रकरण उमाराम बनाम तेजाराम वगैरा के सदर्भ है। दोनो ही अधिवक्ता यह जानते हैं कि तथाकथित पुर्व निर्णित रास्ता प्रकरण की अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में की जा चुकी है, तथा उसमें स्थगन आदेश भी पारित है। जिससे दोनो पक्षो की उक्त आपत्ति भी खारिज की जाती है। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड कि उक्त आपत्ति कि निरीक्षक भू0अ0, पटवारी व तहसीलदार द्वारा अधिकार क्षेत्र से परे रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि में स्थित अवरोध/संरचना को हटाये जाने के लिये प्रार्थी का शपथ पत्र प्राप्त कर रिकार्ड पर लिया है। अप्रार्थी पक्ष की इस आपत्ति को भी विधिक प्रावधानो के तहत मान्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ खसरा नंबर 1178 मेंसे ही रास्ता दिया जावे, तथा अपील के निर्णय का इंतजार किया जाये भी तर्क संगत नहीं होने खारिज की जाती है। दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो को खारिज किये जाने के बाद हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य की प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 1181 तक पहुॅच मार्ग उपलब्ध नही है, तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिस तथ्य को तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है, तथा प्रकरण में दो बार रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। तथा दूसरी बार प्राप्त रिपोर्ट में दोनो पक्षो अर्थात् खसरा नंबर 1179 एवं खसरा नंबर 1178 की भूमियों मेंसे आधा–आधा रास्ता प्रस्तावित करते हुये प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत् रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली एवं उसके प्रतिनिधियो ने खसरा नंबर 1179 मेंसे रास्ते देते हुये पानी की कुण्डी व पाईप लाईन के वाल्व को भी छोडा गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1178 में मौके पर स्थित पक्की दीवार व जामून के पेड को भी प्रस्तावित रिपोर्ट में रास्ते से बाहर रक्खा गया है। जिससे दोनो पक्षो की आपत्तिया सारहीन होने खारिज की जाती है। तथा आवेदक प्रार्थी को तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ 534 दिनांक 25.2.2025 एवं संशोधित रिपोर्ट पत्रांक/ 1096 दिनांक 6.5.2025 के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1181 रकबा 0.17 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी खसरा नंबर **1178 मेंसे 54 X 2.5=135 वर्गमीटर** एवं खसरा नंबर **1179 मेंसे 56 X 2.5=140 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 43,25000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1178	0.54हैक्टर	54X2.5=135 वर्गमीटर	433	58455X2=116910	रामलाल पुत्र कूपाराम सीरवी सा.देह खातेदार
1179	0.75 हैक्टर	56X2.5=140 वर्गमीटर	433	60620X2=121240	कमला पुत्री मोडाराम, चेनाराम पुत्र केराराम चौधरी वगैरा जमाबंदी अनुसार
		कुल 275 वर्गमीटर		कुल 238150/–रूपये	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........05

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/485

अनवान देवाराम वगैरा बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 238150/- (अक्षरे दो लाख अडतीस हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/593-597

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक देवाराम पुत्र गलाराम जाति सिरवी निवासी बाली तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

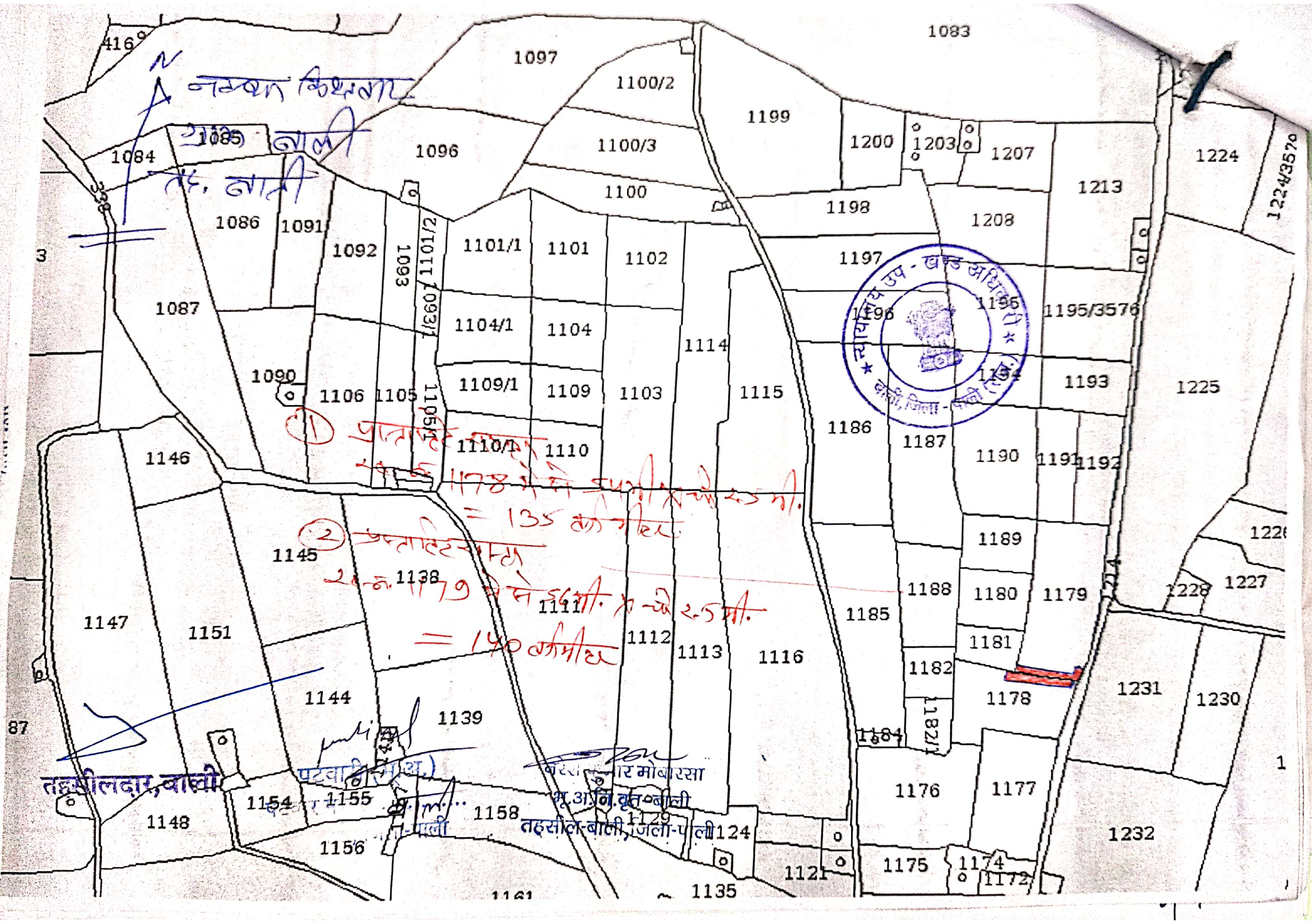

Scanned with CamScanner